समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

आदेश

बिहार राज्य अन्तर्गत कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों की सम्यक समीक्षोपरान्त विशेष सचिव, गृह विभाग, (विशेष शाखा), पटना के ज्ञापांक-जी0/आपदा-06-06/2020-88 (वि0स0को0) दिनांक 14-07-2020 द्वारा बिहार राज्य के सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय एवं सभी नगर निकाय क्षेत्रों में 16 दिनों अर्थात् दिनांक 16-07-2020 से दिनांक 31-07-2020 तक लॉकडाउन लगाने हेतु निर्णय लिया गया है।

अतः गृह विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक-जी0/आपदा-06/2020-88 (वि0स0को0) दिनांक 14-07-2020 के संदर्भ में मधेपुरा जिला के जिला मुख्यालय, सभी प्रखंड मुख्यालय (प्रखंड मुख्यालय स्थित बाजार सहित) एवं सभी नगर निकाय क्षेत्रों में दिनांक 16-07-2020 से दिनांक 31-07-2020 तक लॉकडाउन के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश प्रभावी होंगे :-

1. भारत सरकार के अधीन सभी कार्यालय /स्वशासी निकाय /निगम /लोक उपक्रम बंद रहेंगे, परन्तु आवश्यक सेवाओं से संबंधित निम्नलिखित कार्यालय खुले रहेंगे :-

   (a) रक्षा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कोषागार, सार्वजनिक उपयोग की आवश्यक सेवा (पेट्रोलियम, सी0एन0जी0, एल0पी0जी0, पी0एन0जी0) आपदा प्रबंधन, विद्युत उत्पादन एवं संचरण ईकाई, पोस्ट ऑफिस, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र।

2. बिहार राज्य के अधीन सभी कार्यालय /स्वशासी निकाय /निगम आदि बंद रहेंगे परन्तु आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे :-

   (a) राज्य सरकार के अधीन पुलिस, होम गार्ड, असैन्य सुरक्षा, फायर बिग्रेड एवं आकस्मिक सेवा, आपदा प्रबंधन, निर्वाचन एवं कारा सेवा।

   (b) जिला प्रशासन तथा कोषागार के साथ आई0टी0 सेवा /विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यालय।

   (c) विद्युत, जल आपूर्ति, सैनिटेशन, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, जल प्रबंधन, कृषि, पशुपालन कार्यालय।

   (d) सभी नगर परिषद् /नगर पंचायत कार्यालय।

   (e) वन विभाग के कार्यालयों में पदाधिकारी /कर्मी उपस्थित रहकर आवश्यक सेवाओं यथा पौधारोपण, वाईल्ड लाईफ केयर, नर्सरी की देखभाल, पेड़-पौधों तथा वन्य पशुओं की देखभाल एवं सुरक्षा प्रदान करेंगे।

   (f) सामाजिक सुरक्षा, बाल दत्तक केन्द्र एवं पेंशन से संबंधित पदाधिकारी /कर्मी अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

   - क्रमांक 1 एवं 2 में वर्णित कार्य स्थलों पर न्यूनतम आवश्यक कर्मियों के साथ कार्य किया जायेगा तथा अन्य सभी कार्यालय के कार्यालय प्रधान, यदि सरकारी कार्य आवश्यक प्रकृति के हों, तो अधिकतम 33 प्रतिशत कार्यबल के साथ कार्य करायेंगे एवं इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

3. अस्पताल एवं स्वास्थ्य रक्षक संस्थान (दवा निर्माण एवं वितरण सहित चिकित्सालय, रोग जांच केन्द्र, मेडिकल उपकरण, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस आदि) सरकारी /गैर सरकारी संस्थान पूर्व की भांति खुले रहेंगे तथा मेडिकल /पारा मेडिकल कर्मी एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अन्य कर्मी एवं संस्थान के साथ-साथ पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सक /कर्मी तथा इनसे जुड़ी सेवाएँ पूर्व की भाँति कार्यरत रहेगी।

4. सभी प्रकार के व्यापारिक एवं निजी प्रतिष्ठान /संस्थान बंद रहेंगे परन्तु आवश्यक सेवाओं संबंधित निम्नलिखित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे :-

क्र0	दुकानें /प्रतिष्ठान	दुकानें /प्रतिष्ठान खोलने का समय
1	निजी /सरकारी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा सेवा	-समयानुसार-
2	दूरसंचार सेवा	-समयानुसार-

3	इंश्योरेन्स, बैंकिंग एवं ए0टी0एम0 सेवायें	–समयानुसार–
4	डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान	10:00 बजे पूर्वा0 से 04:00 बजे अप0 तक
5	खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान	10:00 बजे पूर्वा0 से 04:00 बजे अप0 तक
6	फल–सब्जियों, माँस मछली एवं दूध की खुदरा दूकानें	07:00 बजे पूर्वा0 से 11:00 बजे पूर्वा0 तक एवं 03:00 बजे अप0 से 05:00 बजे अप0 तक
7	दवा की दुकानें, सर्जिकल आइटम्स से संबंधित संस्थान	–पूर्ववत्–
8	पेट्रोल पंप एवं एल0पी0जी0 गैस एजेंसी	–पूर्ववत्–
9	पोस्ट ऑफिस एवं कूरियर सेवायें	–समयानुसार–
10	ई–कॉमर्स सेवाएँ	–समयानुसार–
11	इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया	–पूर्ववत्–
12	कृषि कार्यों से संबंधित एवं पशु चारा की दूकानें	10:00 बजे पूर्वा0 से 04:00 बजे अप0 तक
13	जन वितरण प्रणाली की दूकानें	–समयानुसार–
14	विद्युत के जेनरेशन, ट्रांसमिशन तथा वितरण से संबंधित सेवाएँ	–पूर्ववत्–
15	कोल्ड स्टोरेज तथा वेयर हाउसिंग संबंधित सेवा	–पूर्ववत्–
16	निजी सुरक्षा सेवा	–पूर्ववत्–
17	औद्योगिक प्रतिष्ठान	–समयानुसार–
18	आतिथ्य सेवाएँ यथा :–होटल, लॉज आदि	–समयानुसार–
19	होटल /मोटल /रेस्टोरेन्ट /ढाबा इत्यादि	केवल होम डिलेवरी
20	रिपेयर एवं गैराज से संबंधित कार्य यथा :– मोबाईल, वाहन रिपेयर इत्यादि	10:00 बजे पूर्वा0 से 04:00 बजे अप0 तक
21	निर्माण सामग्री से संबंधित दूकान /प्रतिष्ठान	10:00 बजे पूर्वा0 से 04:00 बजे अप0 तक

5. औद्योगिक प्रतिष्ठानों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड–19 के संबंध में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप एवं सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहने संबंधी आदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन के साथ कार्य करने की अनुमति होगी।
6. सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा, परन्तु आवश्यक सेवाओं से संबंधित निम्नलिखित सेवाओं की अनुमति होगी :–
   (a) रेल एवं वायुयान परिवहन (रेल मंत्रालय व सिविल एविएशन मंत्रालय के दिशा–निदेश के आलोक में)
   (b) टैक्सी, ऑटो रिक्शा
   (c) निजी वाहन केवल उपर कंडिकाओं में अंकित कार्यों (Permitted Activities) के लिए।
   (d) किसी भी प्रकार के सामग्रियों (Goods) का परिवहन एवं उसकी लोडिंग एवं अनलोडिंग।
   (e) सभी सरकारी वाहन एवं सरकारी कर्मियों को ले जाने वाले निजी वाहन जिसमें सरकारी कर्मी अपना परिचय पत्र अवश्य रखेंगे। आवश्यक सेवा प्रदाताओं को केवल अपने घर से कार्यस्थल पर जाने की अनुमति होगी।
   (f) सभी वाहनों में मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा।
7. सभी निर्माण से संबंधित गतिविधियाँ जारी रहेगी और उनसे संबंधित दुकानें खुली रहेगी।
8. सभी कृषि से संबंधित क्रियाकलाप जारी रहेंगे एवं उनसे संबंधित दुकानें खुली रहेगी।
9. सभी शिक्षण /प्रशिक्षण /शोध /कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन /डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेंगे और इन्हें बढ़ावा दिया जायेगा।
10. सभी पूजा स्थल /धार्मिक सम्मेलन बिना किसी अपवाद से बंद रहेंगे।

11.सभी सामाजिक /राजनीतिक /खेल /मनोरंजन /सांस्कृतिक /धार्मिक कार्यक्रम एवं पार्क बंद रहेंगे। खेल मैदान एवं स्टेडियम खोलने की अनुमति होगी परन्तु दर्शकों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

12.उपरोक्त रोकथाम के उपाय 16-07-2020 (गुरुवार) से 31-07-2020 (शुक्रवार) तक 16 दिनों के प्रभाव की अवधि में लागू रहेंगे।

13.कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या -40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 29-06-2020 के एनेक्सचर-1 एवं गृह विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक- जी0/आपदा-06-02/2020-336 /अ0मु0स0को0, पटना, दिनांक 30-06-2020 द्वारा निर्गत आदेश में अंकित सभी निर्देश यथा :- रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यु लागू रहेगा। साथ ही साथ मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी क्षेत्रों में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1953/गो0, मधेपुरा, दिनांक 05-07-2020 से निर्गत सार्वजनिक अथवा कार्य स्थल पर फेस मास्क अथवा फेस कवर (नाक और मुँह को समुचित रूप से ढँकना) नहीं पहनने वाले व्यक्ति से अर्थदण्ड राशि की वसूली का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जायेगा।

14.गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कन्टेनमेंट जोन के संबंध में पूर्व से निर्धारित सभी प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /सभी अंचल अधिकारी /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी /सभी थानाध्यक्ष /सभी ओ0पी0 अध्यक्ष /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /नगर पंचायत, मुरलीगंज को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त आदेश में निहित निदेशों का लॉकडाउन अवधि अंतर्गत सख्ती से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /पुलिस उपाधीक्षक (मु0), मधेपुरा को लॉकडाउन से सभी कार्यो का अनुश्रवण करने हेतु वरीय पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है कि वे प्रतिदिन अपराह्न 05:00 बजे तक सभी संबंधित पदाधिकारियों से लॉकडाउन के कार्यो का अनुश्रवण कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदन देंगे।

यह आदेश दिनांक 16-07-2020 से 31-07-2020 तक अक्षरशः प्रभावी रहेगा।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 2080/गो0, मधेपुरा, दिनांक 15/07/2020

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी /अंचल अधिकारी /थानाध्यक्ष /ओ0पी0 अध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /पुलिस उपाधीक्षक (मु0), मधेपुरा /जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /नगर पंचायत, मुरलीगंज/सभी कार्यालयों के कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/7

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।